04/12/24

[illegible]

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2021/35

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:28 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

समेस्ता बनाम रेवन्ताराम आदि

किस्म मुकदमाः– प्रा.पत्र आदेश 9 नियम 4 सीपीसी प्र.सं. :– 10/2021 (GCMS 2021/35)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.12.2024	**पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि श्रीमान जी के समक्ष** एक वादपत्र अनवान समेस्ता आदि बनाम रेवन्ताराम आदि बाबत चक 4 पीपीएन खाता नं0 53/24 की 10.727 है0 पैतक भूमि में 1/5 हिस्सा के खातेदार की घोषणा एव घोषणा के बाद खाता विभाजन तथा चिरस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण विचाराधीन था। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का वकील नियत तारीख पर हाजिर आता रहा हैं परन्तु नियत दिनांक 22.10.2019 को प्रार्थीगण के घर पर आवश्यक कार्य होने पर प्रार्थीगण नियत तारीख पर हाजिर नही आ सकी। जिस कारण से प्रार्थीगण का उपरोक्त प्रकरण प्रार्थीगण के गैरहाजरी में दिनांक 22.10.2019 को खारीज कर दिया गया। प्रार्थीगण को उक्त आदेश की सूचना कभी भी किसी भी माध्यम से नही हुई है। प्रार्थीगण अभी बच्चे हैं जिन्हे कानून सम्बन्धि कोई जानकारी नही हैं, प्रार्थीगण को पढने हेतु विधालय जाना पड़ता हैं जिस कारण से वोह रोज अदालत में आने के लिये असमर्थ हैं इसलिये वकील से सम्पर्क करना पड़ता हैं परन्तु प्रार्थीगण के वकील द्वारा भी उक्त आदेश की सूचना प्रार्थीगण को नही दी गई एवं मार्च 2020 में लॉकडाउन लग जाने के कारण प्रार्थीगण अदालत में आकर उक्त प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर सकी। लॉकडाउन अवधि समाप्त होने पर प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा जैर प्रार्थना पत्र भूमि पर कोई स्थगन ना होने एवं बैचान करने हेतु एलानिया कहने पर प्रार्थीगण द्वारा अपने वकील से सम्पर्क करने पर वकील प्रार्थीगण ने बताया की तुम्हारा वादपत्र दिनांक 22.10.2019 को अदम पैरवी में निरस्त किया जा चुका है। उसे रिस्टोर करवाना पड़ेगा। तब प्रार्थीगण द्वारा नकल का प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नकल दिनांक 15.09.2020 को मिली। नकल मिलते ही प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कि दिनांक 22.10.2019 को प्रार्थीगण की अदम पैरवी में खारीज कर दिया गया है। वादपत्र घोषणात्मक डिक्री का हैं, प्रार्थीगण अपने पिता के देहान्त पश्चात् अपने हिस्से के मांग कर रही हैं यदि अप्रार्थीगण रकबा बैचान करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थीगण के माता पिता दोनो ही नही है। अतः प्रार्थीगण के लालन व भरण पोषण हेतु उक्त भूमि के अलावा कोई भूमि नही है। अप्रार्थी नं0 1 प्रार्थीगण का का दादा हैं जो चाचा के बहकावे में आकर भूमि खुर्द बुर्द करने पर उतारू हैं। अतः प्रार्थीगण के हितो की सुरक्षा हेतु प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना आवश्यक है। बहस सुनी गई। **पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश** किये गये **साक्ष्य पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के सार व तत्व का अवलोकन करने** पर न्याय हित में **प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।** अतः **प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं। पत्रावली नम्बर से कम होकर** बाद तरतीत तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	न्यायालय उपखण्ड अधि... सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:28 IST
Reason: SelfAttested